न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/148

1. भैरूलाल आत्मज नंदा जाति बैरवा मेघवंशी
2. प्रहलाद आत्मज नंदा जाति बैरवा मेघवंशी
   निवासीगण सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी सीतापुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान

——अपीलान्टगण

बनाम

1. पुखराज आत्मज किशोर जाति बैरवा
   निवासी ग्राम बुचलोई तहसील गंगापुर, जिला गंगापुर सिटी हाल निवासी सरस्वती कॉलोनी, रोटेदा रोड़ कोटा जंक्शन
2. आनन्द सिंह आत्मज बिशन सिंह जाति सिक्ख निवासी रामदास नगर, पुरोहित जी की टापरी, कोटा जंक्शन

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

अपील संख्या : 2025/17

आनन्द सिंह आत्मज बिशन सिंह जाति सिक्ख निवासी रामदास नगर, पुरोहित जी की टापरी, कोटा जंक्शन

——अपीलान्ट

बनाम

1. भैरूलाल आत्मज नंदा जाति बैरवा मेघवंशी
2. प्रहलाद आत्मज नंदा जाति बैरवा मेघवंशी
   निवासीगण सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी सीतापुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
3. विनोद कुमार पुत्र प्रभुलाल जाति धोबी निवासी–48, सुभाष कॉलोनी, खेड़ली फाटक, कोटा, राजस्थान

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः— 1. श्री शेलेन्द्र माथुर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पो. 1 लगायत 3 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 30.01.2026

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पेश की गई है। अपील संख्या 2025/17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के निर्णय दिनांक 18.11.2024 के विरूद्ध तथा अपील संख्या 2024/148 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 39/2018 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी आनन्द सिंह द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की आराजी पुराना खसरा संख्या 92 नया खसरा संख्या 434 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा संख्या 435 रकबा 0.39 हैक्टेयर आराजी वाके ग्राम सोगरिया पटवार हल्का सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। उक्त आराजी को वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 गेंदीलाल से सन् 1987 में एक रहन नामा द्वारा रहन रखी थी जिसके 12500 रूपये उक्त आराजी को एवज में गेंदीलाल, जोकि उक्त आराजी का स्वामित्व रखता था एवं जमाबंदी में जिसका नाम अंकित था, को दिये थे और उक्त आराजी उसने रहननामा वादी के पिता श्री बिशन सिंह के नाम आलेखित कर दिया था, तब से ही उक्त आराजी पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। वादी ने कृषि कार्य हेतु हाली के रूप में नन्दू को रखा था और उसके कृषि कार्य करवाता चला आ रहा था, किन्तु किसी कारणवश नन्दू आराजी के काम को छोड़ कर चला गया। उसके उपरान्त वादी स्वयं उक्त आराजी पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। दाखां बाई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से साठ गांठ कर गुप्त रूप से उक्त आराजी का नामान्तरकरण नन्दू के नाम करवाकर स्वयं को नन्दू के वारिसान बताकर जमाबंदी में अपने नाम अंकित करवा लिया है और अब वर्तमान में उक्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। वादी को दिनांक 02.02.2018 को उक्त आराजी की जमाबंदी की नकल प्राप्त होने पर यह ज्ञात हुआ है कि उक्त आराजी का नामान्तरकरण दाखां बाई एवं सुनिता जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है ने कमशः खुलवा लिया है। वादी ने उक्त आशय का लेकर प्रतिवादी संख्या 3 को

अपने अधिवक्ता द्वारा एक लीगल नोटिस दिनांक 03.02.2018 को भिजवाया जिसका प्रत्युत्तर आज दिनांक तक वादी को प्राप्त नहीं हुआ इस कारण से वादी को यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं न्याय निर्णय के लिए प्रेषित किया गया है। उक्त खसरा नम्बरान की आराजी सिवायचक नहीं है जिसे वादी ने गेन्दीलाल आत्मज कजोड़ निवासी सोगरिया से जो वादी के पिता की मृत्यु के उपरान्त वादी उक्त आराजी का एकमात्र मालिक व काबिज है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी को अपने नाम जमाबंदी में करवाकर खुर्द बुर्द करना चाहते है तथा अन्य व्यक्ति को विक्रय कर रजिस्ट्री करवाया जाना चाहते है। इसलिए ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उक्त कृत्य करने से प्रतिवादीगण को रोका जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वादी का उक्त आराजी पर लगभग 40 वर्षों से काबिज काश्त है और वर्तमान में भी उक्त आराजी पर वादी का ही कब्जा है। नन्दु का कभी भी कोई अधिकार उक्त आराजी पर नहीं रहा है और न ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त कथित नन्दू के वारिसान है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे कृत्य जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रूकवाये। वादी के पास उक्त वाद के अलावा अन्य कोई रेमेडी उपलब्ध नहीं है। वाद उचित शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है जो माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे अवैध कृत्य को नहीं करने हेतु इस बात की घोषणा की जावे कि उक्त नामान्तरकरण अवैधानिक होने से निरस्त किया जावे। एवं वादी का नाम जमाबंदी में अंकित करवाये जाने की घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जावे। अन्य न्यायोचित सहायता भी मे हो वादी को प्रदान की जावे।

4. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2024 को वादी आनन्द सिंह की ओर से प्रस्तुत वाद(वाद संख्या 53/2018) खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया गया।

5. प्रार्थी वादी पुखराज की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचाराण न्यायालय में एक वाद (वाद संख्या 76/2018) अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा में प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की खसरा संख्या 434 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा सख्या 435 रकबा 0.39 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार चला आ रहा है जिसका उपयोग प्रार्थी शांतिपूर्वक करता चला आ रहा है। प्रतिपक्षी का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं है तथा उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा कभी भी प्रतिपक्षी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रतिपक्षी दिनांक 15.06.2018 को वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 434, 435 पर आया तथा प्रार्थी को भूमि पर हकाई करने से मना करते हुए प्रतिपक्षी द्वारा भूमि को हांकने की धमकी दी। प्रार्थी ने प्रतिपक्षी को मना किया तो प्रतिपक्षी ने प्रार्थी को धमकी दी कि वह उक्त भूमि से बेदखल कर देगा। प्रार्थना–पत्र

पेश कर निवदेन है कि ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षी के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादी प्रार्थी को ग्राम सोगरिया की खसरा संख्या 434, खसरा सख्या 435 हैक्टेयर भूमि से बेदखल नहीं करे। प्रार्थी के कब्जे व उपयोग उपभोग में मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे, उक्त भूमि पर प्रार्थी को काश्त करने से नहीं रोके। उक्त कृत्य न तो स्वयं करने और ना ही अपने प्रतिनिधि द्वारा करावे। मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

6. प्रार्थी पुखराज की ओर से प्रस्तुत उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र (55/2018) वादी आनन्द सिंह की ओर से प्रस्तुत मूलवाद में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र (39/2018) अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ समेकित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2023 को प्रार्थी पुखराज की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किए जाने तथा आनन्द सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया जाकर प्रतिपक्षी आनंद सिंह को वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी पुखराज के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं किए जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निर्णय पारित किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रार्थना–पत्र संख्या 39/2018 एवं 55/2018 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 एवं वाद संख्या 53/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2024 के विरूद्ध उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 एवं निर्णय दिनांक 18.11.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 तथा निर्णय दिनांक 18.11.2024 से निरस्त फरमाये जावें।

8. अपीलांट की ओर से निर्णय दिनांक 22.12.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील(अपील संख्या 2024/148) मियाद बाहर प्रस्तुत की गई तथा निर्णय दिनांक 18.11.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील (अपील संख्या 2025/17) अंदर मियाद पेश की गई। अपील संख्या 2025/253 के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। अपील संख्या 2024/148 धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना–पत्र के निर्णयाधीन सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन तथा अपील संख्या 2025/17 अंदर मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। दोनो अपीलों में रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में अपील संख्या 2025/17 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपील संख्या 2024/148 में रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

9. अपील संख्या 2024/148 में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त आदेश दिनांक 22.12.2023 की जानकारी तब हुई जब अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में पारित डिक्री दिनांक 26.06.2024 के दर्ज अमल करवाने के सम्बंध में तहसीलदार लाडपुरा कोटा के यहां जुलाई 2024 के प्रथम सप्ताह में कार्यवाही की तब आदेश दिनांक 22.12.2023 की जानकारी हुई तब आदेश दिनांक 22.12.2023 की प्रमाणित प्रति दिनांक 22.07.2024 को प्राप्त हुई तत्पश्चात यह अपील माननीय न्यायालय में अंदर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुई डिले सद्भाविक है जिसे कण्डोन किया जाकर अपील पर विधिवत सुनवाई किया जाना आवश्यक है। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

10. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील संख्या 2024/148 के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त सम्पत्ति का खातेदार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ की द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2024 में अपीलांट को घोषित किया है तथा उपरोक्त सम्पत्ति अपीलांट के स्वामित्व की है तथा उपरोक्त प्रकरण में अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अपीलांट को पक्षकार बनाए बिना ही आदेश दिनांक 22.12.2023 पारित किया गया है इसलिए यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की गई है। इसलिए उपरोक्त प्रकरण में अपीलांट नैसर्गिक एवं प्रोपर पक्षकार है तथा अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे है इसलिए यह अपील अपीलांट की ओर से पेश की जा रही है। अपीलांट के द्वारा आदेश दिनांक 22.12.2023 की अपील किया जाना आवश्यक है इसलिए उपरोक्त अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाकर विधिवत सुनवाई करने के लिए आदेश फरमाया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

11. अपील संख्या 2024/148 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.12.2023 आर्बिट्रेरी, केप्रिसियस, परवर्स है तथा कानून के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।क अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो० नंबर–1 ने जो आवेदन विचारण न्यायालय में पेश किया था उसमें जानबूझकर अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया, जबकि रेस्पो० को यह जानकारी थी कि उपरोक्त सम्पत्ति के खातेदार अपीलांटस है और दोनों रेस्पोन्डेंटस ने मिलिभगत करके आदेश दिनांक 22.12.2023 पारित करवा लिया। अपीलांट द्वारा एक दावा संख्या 38/2024 उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां पेश कर रखा था जिसे न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने ओदेश दिनांक 30.04.2024 के तहत उपखण्ड अधिकारी झालावाड के यहां अंतरित किया जिसमें रेस्पो० नंबर–1 भी बतौर प्रतिवादी क्रम–4 था जिसे उपखण्ड अधिकारी झालावाड ने स्वीकार करते हुए उपरोक्त कृषि आराजियात खसरा नम्बर 434 की

रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 435 की रकबा 0.39 है० वाके ग्राम सोगरिया, पटवार हल्का सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में से रेस्पो. क्रम–1 का नाम डिलिट किया जाकर अपीलांट का प्रत्येक का 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज किए जाने के आदेश जारी कर रखे है तथा साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट के पिता का नाम नंदू आत्मज किशन के स्थान पर नंदू उर्फ नंदा आत्मज किशना उर्फ सुक्खा अंकित किए जाने के आदेश जारी कर दर्ज अमल करने के आदेश तहसीलदार लाडपुरा कोटा को दे रखे है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अपीलांट उपरोक्त सम्पत्ति के खातेदार कृषक है और खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई गौर किए दिनांक 22.12.2023 को आदेश पारित किया है जो गैर कानूनी है। रेस्पो० क्रम–1 ने अपने वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र में तहसीलदार लाडपुरा कोटा को तक भी पक्षकार नहीं बनाया था, जबकि तहसीलदार लाडपुरा नेससरी एवं प्रॉपर पक्षकार है तथा उसकी अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र सुने जाने योग्य नहीं है लेकिन दोनों रेस्पो०. ने मिलिभगत करके विचारण न्यायालय से आदेश दिनांक 22.12.2023 पारित करवाया है। उपखण्ड अधिकारी झालावाड ने अपने विस्तृत निर्णय दिनांक 26.06.2024 में स्पष्ट रूप से डिक्री पारित करते हुए अपीलांट को उपर वर्णित कृषि आराजियात का खातेदार घोषित कर रखा है जिसकी पालना में तहसीलदार लाडपुरा कोटा द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है तथा एक खातेदार कृषक को उसकी सम्पत्ति के उपयोग–उपभोग से बाधित नहीं किया जा सकता तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर किए बिना ही आदेश दिनांक 22.12.2023 पारित किया है जो गैर कानूनी है। जिसे निरस्त किया जावे। न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत जाकर आदेश दिनांक 22.12.2023 पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। उपरोक्त कृषि आराजियात के पूर्व खातेदार अपीलांट के पिता नंदा पुत्र सुक्खा थे लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में तकनीकी त्रुटि से नंदू पुत्र किशना उल्लेखित कर दिया था जिसका दुरूपयोग कर रेस्पो०. क्रम–1 ने तथाकथित तथा फर्जी विक्रय पत्रों के आधार पर सम्पत्ति को अपने नाम दर्ज करवा लिया गया, जिसका न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड राजस्थान द्वारा दुरूस्त करने का आदेश जारी कर रखा है तथा उपरोक्त कृषि आराजियात के खातेदार अपीलांट है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.12.2023 गैर कानूनी है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2023 निरस्त किए जाने तथा रेस्पो. क्रम–1 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 सव्यय निरस्त किए जाने तथा अन्य सभी न्यायोचित सहायता भी अपीलांट को रेस्पोन्डेंटस से दिलवाई जाने का निवेदन किया।

12. अपील संख्या 2025/17 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा वर्ष 2018 में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89, 90 राज० टी० एक्ट० के अन्तर्गत प्रतिवादीगण दाखा बाई, सुनीता बाई व पुखराज बैरवा के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया था। उक्त वाद पत्र में अपीलार्थी के द्वारा कृषि भूमि जिसका खसरा नम्बर– 434 व 435 हैं, जिसका कुल लाडपुरा रक्बा 1.52 हैक्टेयर हैं, जो कि ग्राम सोगरिया तहसील व जिला कोटा में स्थित हैं, जिस भूमि को अपीलार्थी ने पूर्व खातेदार गेंदीलाल से वर्ष 1987 में रहन

रखा था, तथा बाद में दिनांक– 13.12.1990 को अपीलार्थी ने उक्त भूमि की रजिस्ट्री अपने हाली नन्दू मेंघवशी के नाम करवा दी थी, ओर वर्ष 1987 से लगातार वादी उक्त भूमि पर कृषि कार्य करता चला आ रहा हैं, तथा समस्त राजस्व लगान की अदायगी अनवरत् रूप से कर रहा है, जिस पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने हेतु उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी का हाली नन्दूमेंघवशी की वर्ष 1996 में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद भी वर्ष 1996 से ले करके वर्ष 2020–21 तक लगभग 24–25 वर्षों तक अपीलार्थी के द्वारा निर्बाध रूप से बिना रोक–टोक के उक्त कृषि भूमि पर काश्तकारी का कार्य सम्पन्न किया हैं, जिसकी रिपोर्ट भी पटवारी के द्वारा प्रस्तुत की गई है कि अपीलार्थी ही उक्त भूमि पर खेती का कार्य कर रहा हैं, तथा समस्त लगान भी अपीलार्थी के द्वारा ही भरा गया हैं। किन्तु वर्ष 2017 में कुछ भू–माफिया लोगो दाखा बाई सुनीता बाई व पुखराज बैरवा आदि समस्त लोग शामिल थे, उनको पता चला कि उक्त कृषि भूमि नन्दू मेंघवशी के नाम हैं, तथा नन्दू मेंघवंशी अविवाहित था, जिसका कोई वारिस मौजूद नही हैं, तो उन्होने षडयंत्र रचकर दाखा बाई व सुनीता बाई को नन्दू मॅघवशी की पुत्री व दोहिती बना करके उनके नाम फौती इन्तकाल खुलवा लिया, और बाद में पुखराज बैरवा के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया। जो कि अपीलार्थी के मूल वाद में प्रतिवादीगण थे। अपीलार्थी के लम्बे कब्जे व काश्तकारी अधिकारो को देखते हुये प्रथम दृष्टया मामला मानते हुये अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी कोटा के द्वारा उक्त वाद भूमि पर स्टे आदेश भी पारित किया हुआ था। मूल वाद साक्ष्य के स्तर पर लम्बित था, जिसमें साक्ष्य लेखबद्ध की जा रही थी, उसी समय अचानक झालावाड़ उपखण्ड अधिकारी के द्वारा उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में दिनांक–26.06.2024 को एक आदेश पारित किया गया। जिसमें वर्णित किया गया कि नन्दू मेंघवंशी के दो पुत्र जिनका नाम भैरूलाल व प्रहलाद हैं, वह उक्त भूमि के वास्तविक मालिक हैं, और उनके नाम एक तरफा निर्णय पारित किया गया। जिसके अवलोकन पर अपीलार्थी को पता चला कि उक्त मामला पूर्व में उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे बाद में अजमेर राजस्व मण्डल के समक्ष ट्रांसफर याचिका प्रस्तुत करके झालावाड़ उपखण्ड अधिकारी के समक्ष स्थानान्तरित करवा लिया, और उसमें अपीलार्थी को पार्टी नही बनाया, केवल मात्र रेस्पोडेन्ट सुनीता बाई, दाखा बाई व पुखराज बैरवा को पार्टी बनाया गया, और उनके विरूद्ध भी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाते हुये देवलीमांझी तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर भैरूलाल व प्रहलाद का नन्दू मेघवंशी का वारिस बनाम निर्णय पारित कर दिया, और उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार कोटा के समक्ष प्रस्तुत की जाकर पुखराज बैरवा का नाम खाते से डिलीट करवा दिया, और भैरूलाल व प्रहलाद के नाम इन्तकाल तस्दीक करवा दिया, और दुसरे ही दिन विनोद धोबी के नाम रजिस्ट्री हो गई, और खाते में विनोद धोबी का नाम अंकित हो गया हैं, जो कि वर्तमान में खसरा नम्बर– 434 व 435 की भूमि में विनोद धोबी का नाम अंकित हो गया। इस प्रकार पूर्व नियोजित षडयंत्र रचकर उक्त अधूरा आदेश पारित करवाया गया। जबकि कृषि भूमि कोटा की सीमाओं में स्थित हैं, और भैरूलाल व प्रहलाद को यह जानकारी थी कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष विवाद विचाराधीन हैं, फिर भी उन्होने षडयंत्रपूर्वक अजमेर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके केस को झालावाड़ ट्रांसफर करवाया, जबकि उनका कोई हक, अधिकार निहित था या वह वास्तव में नन्दू मेघवंशी के वारिस थे, तो उन्हें

इसी दावे में पार्टी बनकर अपना पक्ष रखना चाहिये था, और तनकी अनुसार सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करके प्रकरण का निर्णय करवाना चाहिये थे, जो कि नही करवाया गया। उक्त आदेश के परिणामस्वरूप जो मूल वाद उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष विचाराधीन था, जिसमें साक्ष्य चल रही थी, उस वाद पर उपखण्ड अधिकारी कोटा के द्वारा कार्यवाही को रोक दिया गया, तथा अपीलार्थी को कहा गया कि जब इस खसरा नम्बर की भूमि के सम्बन्ध में झालावाड़ उपखण्ड अधिकारी के द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका हैं, तो मैं कैसे निर्णय पारित कर सकता हूं ओर न्यायालय के द्वारा दिनांक–18.11.2024 को आदेश पारित किया कि अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ के निर्णय एवं हस्तगत प्रकरण में किसी सक्षम उच्चतम न्यायालय में चाराजोरी करने हेतु स्वतंत्र होंगे। जिस पर अपीलार्थी के द्वारा उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। वास्तव में खसरा नम्बर 434 व 435 की कुल भूमि 1.52 हैक्टेयर जो कि ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित हैं, उस पर पूर्ण रूप से मालिकाना हक व अधिकार अपीलान्ट का ही हैं। पूर्व खातेदार दाखा बाई, सुनीता बाई व पुखराज बैरवा का उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं था, नन्दू मेघवंशी अविवाहित था, और ना ही भैरूलाल व प्रहलाद नन्दू मेघवंशी के वारिस हैं, यह सब फर्जी व बनावटी लोग हैं जो जमीन को हथियाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, वास्तव में वर्ष 1980 से अपीलार्थी ने ही जमीन को ही रहन रखा था तथा स्वंय की काश्त कर रहा हैं, तथा लगान भर रहा हैं, उक्त जमीन पर अपीलार्थी ने बोरिंग खुदवाई व उक्त जमीन पर कमरे का निर्माण करवाया और नन्दू मेंघवशी अपीलार्थी का हाली ही था। अपीलान्ट के वाद को इस प्रकार से बीच स्तर पर ही कार्यवाही को रोक दिया गया, जबकि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण तनकी अनुसार व साक्ष्यो की शृखलाबद्ध तरीके से मालिकाना हक के बाबत् कोई निर्णय पारित नही हुआ। जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। अपीलार्थी के द्वारा जो विनोद धोबी के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित हुआ, उसको भी चैलेन्ज करते हुये खारिज करते हुये न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम–2 कोटा के समक्ष वाद प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें अपीलार्थी को सफलता की पूर्ण उम्मीद हैं। उपखण्ड अधिकारी कोटा के द्वारा मूल वाद में दिनांक– 22.12.2023 को परमानेन्ट स्टे आदेश पारित किया हुआ था। जिसमें मूल वाद के निस्तारण तक रोक लगा रखी थी, और उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ के द्वारा अपने निर्णय के साथ प्रेषित पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि यदि उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई स्थगन आदेश नही हो तो इन्तकाल तस्दीक किया जायें, किन्तु उसके बाद भी तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा के द्वारा उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ के आदेश की पालना में भैरूलाल व प्रहलाद के नाम इन्तकाल तस्दीक कर दिया, और पुखराज बैरवा का नाम डिलीट कर दिया, जिस सम्बन्ध में एक अपील भी श्रीमान के समक्ष लम्बित हैं, जिसमें भैरूलाल व प्रहलाद की ओर से अधिवक्ता के द्वारा लिखा गया है कि दिनांक 22.12.2023 के स्थगन आदेश की सूचना हमें नही थी, और ना ही हम इसमें पार्टी बनाये गये, इसलिये इस आदेश को निरस्त किया जाये। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों के मध्य नजर उक्त मूल वाद को इस निर्देश के साथ वापस रिमाण्ड करना न्यायोचित है कि उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में तनकी व साक्ष्य के आधार पर विस्तृत निर्णय हो कि वास्तव में उक्त भूमि किसके मालिकाना हक व अधिकार की है। अन्त में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो को मध्य नजर

रखते हुये अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर मूल वाद को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करते हुये तथा रेस्पोडेन्ट भैरूलाल व प्रहलाद को भी पाबन्द करते हुये तनकी अनुसार एवं साक्षियों के बयान लेखबद्ध किये जाकर सम्पूर्ण रूप से निर्णय किये जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया।

13. अपील संख्या 2025/17 के विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी अपीलांट द्वारा प्रश्नगत वाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। खातेदार गेंदीलाल जो अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसने वादग्रस्त आराजी नन्दू को पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 13.12.1990 के द्वारा बेचान करके कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। उक्त पंजीकृत विक्रय–पत्र के आधार पर वादी अपीलांट के पिता बिशन सिंह व वादी अपीलांट स्वयं ने बतौर गवाह हस्ताक्षर किये है। प्रश्नगत पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 13.12.1990 के द्वारा किए गए बेचान की अपीलांट को प्रारंभ से ही जानकारी रही है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। पंजीकृत विक्रय–पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी नन्दू की खातेदारी में दर्ज हुई तथा उसकी मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी उसके वारिसान दाखा बाई व सुनीता बाई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खाते दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दाखा बाई व सुनीता बाई द्वारा वादग्रस्त आराजी का बैचान प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 विनोद कुमार को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 26.12.2017 के सुपुर्द किया जा चुका है। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 खरीद दिनांक से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट ना तो वादग्रस्त आराजी का खातेदार है और न ही अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त एवं हक अधिकार निहित है। अतः अपीलांट स्वयं को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वाद(वाद संख्या 53/2018) खारिज किए जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.11.2024 में वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया गया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2024 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट (अपील संख्या 2025/17) खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से अपील संख्या 2024/148 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की

ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपील संख्या 2024/148 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण के पिता नंदा पुत्र सुक्खा के खाते की भूमि है जिस पर अपीलांटगण का हक अधिकार निहित है, परन्तु अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार कायम किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 22.12.2023 पारित किया गया है अतः अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 से प्रभावित पक्षकार होने के कारण अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। चूंकि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी उनके पिता के खाते की भूमि होने का कथन किया गया है अतः अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 से प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अप्पीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट आनन्द सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत वाद (वाद संख्या 53/2018) में वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 434 रकबा 1.13 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 435 रकबा 0.39 हैक्टेयर आराजी का स्वयं को खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। वादी अपीलांट आनन्द सिंह का अपने वादपत्र में कथन रहा है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार गेंदीलाल द्वारा सन् 1987 में वादी अपीलांट के पिता को बेचान किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है तथा वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलांट आनन्द सिहं काबिज काश्त है। वादी अपीलांट का अपने वादपत्र में आगे कथन रहा है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा स्वयं के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण अवैध रूप से स्वयं के पक्ष में स्वीकृत करवाकर वादग्रस्त आराजी को स्वयं के खाते दर्ज करवा लिया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 3 पुखराज द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी नन्दू के द्वारा खातेदार गेंदीलाल से पंजीकृत विकय–पत्र दिनांक 13.12.1990 के द्वारा खरीद किया गया है तथा नन्दु की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खाते दर्ज हुई तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा दिनांक 26.12.2017 को प्रतिवादी संख्या 3 पुखराज को वादग्रस्त आराजी का बैचान किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 10.05.2018 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश

7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.12.2018 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.12.2018 में हस्तगत वाद में तथ्य एवं विधि के मिश्रित प्रश्न निहित होना माना है तथा हस्तगत वाद को विधि से बाधित नहीं होना तथा चलने योग्य होना स्वीकार करते हुए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज किया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दाखां बाई एवं सुनीता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.12.2018 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गई जो माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय 25.10.2021 के द्वारा निरस्त की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.10.2021 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 26.12.2018 में किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः हमारे मत में हस्तगत वाद सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत खारिज किए जाने योग्य नहीं होकर गुणावगुण पर निर्णित किए जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर समुचित तनकीयात कायम किया जाना न्यायहित में आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.10.2023 में तनकीयात कायम किए जाने का अंकन है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई पर्चा तनकीयात संलग्न नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकीयात कायम नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में विचाराधीन थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में साक्ष्य वादी पूर्ण होने का कोई अंकन नहीं है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पृथक से निर्णय अंकित नहीं करवाया गया है जो स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम किए बिना तथा उभयपक्षकारान की साक्ष्य लिए बिना ही विधिक प्रकिया की पालना किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 18.11.2024 पारित किया गया है जो सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत मे हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान के हक अधिकारों को लेकर विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्निहित है अतः वादग्रस्त आराजी में उभयपक्षकारान के हक अधिकारों का निर्धारण प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम किए जाने के उपरांत ही किया जाना संभव है। अतः अपील (2025/17) अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जहां तक अपील संख्या 2024/148 के निस्तारण का प्रश्नगत है, अपील संख्या 2024/148 अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण से सम्बंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.12.2023 में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पुखराज द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 आनन्द सिंह को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है तथा अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 आनन्द सिंह की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.11.2024 के द्वारा मूलवाद को खारिज किया गया है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र का वर्तमान में कोई

अस्तित्व नहीं होने से प्रश्नगत आदेश दिनांक 22.12.2023 स्वतः ही निष्प्रभावी हो चुका है। हस्तगत अपील संख्या 2025/17 अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण से सम्बंधित है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से किसी भी पक्षकार को वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। चूंकि न्यायालय हाजा द्वारा मूल प्रकरण से संबंधित अपील (अपील संख्या 2025/17) आंशिक स्वीकार की जाकर मूल प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा रहा है अतः मूल प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पुनः दर्ज होने के पश्चात कोई भी पक्षकार विधिक प्रक्रिया के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील (अपील संख्या 2024/148) आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

15. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें (अपील संख्या 2025/17 एवं अपील संख्या 2024/148) आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 39/2018 (55/2018) में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 एवं मूल प्रकरण संख्या 53/2018 (76/2018) में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मूल प्रकरण संख्या 53/2018 (76/2018) में उभयपक्षकारान के अभिकथनों के अनुसार समुचित तनकीयात कायम करें तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 18.03.2026 को स्वयं उपस्थित रहे।

16. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रतिलिपि के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

17. निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा